न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 49/2021/दावा 136 एलआरएक्ट
मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र नारायण राम जाति जाट निवासी सेसम तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड एवं दुरूस्ती उदघोषणा

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 14.07.2021**

1 वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम सेसम तह0 दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि आराजियात खसरा नम्बर 600 ता 607 किता 8 कुल रकबा 2.5100 है0 अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों के हिस्सा 5/72 का प्रार्थी/वादी काबिज काश्तकार एवं रिकार्डेड खातेदार दर्ज चला आ रहा है जिसकी पुष्टि रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 से भली–भाती हो रही है। वादी की बाल्यावस्था में ही प्रार्थी/वादी के पिता श्री नारायण राम का स्वर्गवास हो गया था। वादी कुल पॉच भाई क्रमशः मोतीराम, धन्नाराम, जीवणराम, श्योजीराम, मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम है तथा चार बहिने जो विवाहित हो जाने से भाईयों के पक्ष में हकत्याग कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड से हट चुका है। प्रार्थी/वादी के पॉच भाईयों में से श्योजीराम, रामूराम पुत्र पोखर के गोद चला गया इसलिए इसका भी वादी के पिता स्व0 नारायणराम की मृत्यु उपरान्त भरे गये विरासत मे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ अर्थात् उसने अपने भाईयों के पक्ष में हकत्याग कर दिया। शेष उतराधिकारियों का नाम आज भी विधिवत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है। परन्तु वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमियों में मृतक नारायण राम की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय वादी जो बाल्यावस्था में था उसको घर पर भी मंगलचन्द ही कहते थे परन्तु पटवारी हल्का ने संहवन से मंगलचन्द के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र नारायणराम लिख दिया जबकि वादी का सही नाम मंगलचन्द पुत्र नारायणराम ही है जो वादी के पहचान सम्बन्धी समस्त सरकारी दस्तावेजात क्रमशः परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान–पत्र, कक्षा 10 वीं व 12 वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिकाओं, मूल निवास प्रमाण–पत्र, भामाशाह कार्ड, राजस्थान विश्वविधालय जयपुर की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की अंकतालिकाओं में सही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम संहवन से गोविन्दराम पुत्र नारायण राम दर्ज हो जाने से वादी सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, सहकारी समिति से सहायतायें लेने, विघुत कनेक्शन, कृषि ऋण इत्यादि से वंचित होना पडता है।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

वाद कारण आज से अर्सा करीब दस रोज पूर्व वादी द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, महोदय दांतारामगढ के यहॉं कार्यालय में सम्पर्क कर रिकार्ड संशोधन हेतु पुछताछ की तो वादी को उक्त संशोधन हेतु श्रीमान् के यहॉं दावा पेश करने की हिदायत देने पर प्रार्थी/वादी को दावा पेश किया जाना लाजिम आया। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 600 लगायत 607 किता 8 कुल रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम सेसम तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोविन्दराम पुत्र नारायण राम के स्थान पर वादी का सही व वारितविक नाम मंगलचन्द पुत्र नारायण राम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोविन्दराम पुत्र नारायण राम के स्थान पर वादी का सही व वारितविक नाम मंगलचन्द पुत्र नारायण राम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2076--2079 के खसरा नम्बर 600 लगायत 607 किता 8 कुल रकबा 2.51 है0 में गोविन्दराम पुत्र नारायणराम हिस्सा 5/72 जाति जाट सा0 देह दर्ज है जबकि आवेदक के आधार कार्ड राशन कार्ड वोटर कार्ड आई डी भामाशाह कार्ड 10 वीं मार्कशीट मूलनिवास में आवेदक का नाम मंगलचन्द पुत्र नारायणराम दर्ज है व ग्राम सामी द्वारा दिनांक 08.02.2021 को जारी प्रमाण पत्र में गोविन्दराम व मंगलचन्द पुत्र नारायण को एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया गया है। इसलिए नाम शुद्ध किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 600 लगायत 607 किता 8 कुल रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम सेसम तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोविन्दराम पुत्र नारायण राम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र नारायण राम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अजं अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर
इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

मंगलचन्द उर्फ गोविंन्दराम बनाम तहसीलदार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं0 49 / दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 14.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर नम्बर 600 लगायत 607 किता 8 कुल रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम सेसम तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम गोविन्दराम पुत्र नारायण राम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र नारायण राम संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2021 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मोहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	--	--	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	--	--	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--	--	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	--	--	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़